प्रस्तावना

INTRODUCTORY

सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:--

The accounts of Government are kept in the following three parts:-

भाग I समेकित निधि

Part I Consolidated Fund

भाग II आकस्मिकता निधि

Contingency Fund Part II

भाग III लोक लेखा

Part III Public Account

भाग I अर्थात् समेकित निधि में दो प्रमुख प्रभाग हैं, अर्थात:— In Part I, namely, Consolidated Fund, there are two main divisions, viz :-

- (1) राजस्व इसमें 'प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) और व्यय शीर्ष (1) Revenue Consisting of sections for 'Receipt heads (राजस्व लेखा)' के भाग शामिल हैं।
 - (Revenue Account) and Expenditure heads (Revenue Account)'.
- (2) पूंजीगत इसमें लोक ऋण, कर्जे आदि तथा 'प्राप्ति शीर्ष (2) Capital Consisting of Public Debt, Loans, etc. and (पंजीगत लेखा)' और 'लोक ऋण', 'कर्जे और पेशगियों' आदि के भाग शामिल हैं।
 - containing sections for 'Receipt heads (Capital Account)', and Public Debt', Loans and Advances etc.'

राजस्व प्रभाग का सम्बन्ध कराधान से होने वाली आय के लेखे और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों और उनमें taxation and other receipts classed as revenue and the से किए गए व्यय से है जिनका निवल परिणाम वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष या घाटे को निरूपित करता है।

The Revenue division accounts for the proceeds of expenditure met therefrom, the net result of which represents the revenue surplus or deficit for the year.

पूंजीगत प्रभाग में, 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' भाग का सम्बन्ध पुंजीगत प्रकार की प्राप्तियों से है जिसका उपयोग पुंजीगत Account)' accounts for the receipts of capital nature which व्यय को प्रतिसंतुलित करने में नहीं किया जा सकता है।

In capital division, the section'Receipt Heads (Capital cannot be set-off against capital expenditure.

'व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' भाग का सम्बन्ध भौतिक और स्थायी प्रकार की मूर्त परिसम्पत्तियों का सृजन करने के उद्देश्य accounts for the expenditure met mostly from borrowed funds से अधिकांशतः उधार ली गई निधियों में से किए गए व्यय से with the object of creating concrete assets of a material and अथवा सरकार से बाहर निवेश करने से है। इसमें पूंजीगत प्रकार permanent character or investing outside the Govt. It also की उन प्राप्तियों के लेखे भी शामिल हैं जो व्यय को प्रतिसन्तुलित expenditure. करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

The section 'Expenditure Heads (Capital Account)' accounts for receipts of a capital nature as are set-off against

'लोक ऋण', कर्जे और पेशगियां आदि भाग में सरकार द्वारा लिए गए कर्जे और उनकी पुन: अदायगियां जैसे कि केन्द्र सरकार account for loans raised and their repayments by Government के 'आन्तरिक ऋण', और सरकार द्वारा दिए गए 'कर्ज और पेशगियां' (और उनकी वसूलियां) के लेखे शामिल हैं। इस भाग में 'आकस्मिकता निधि को विनियोग' और 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' से सम्बन्धित कुछ विशेष प्रकार के लेन-देन भी शामिल हैं।

The section' Public Debt', Loans and Advances, etc., such as 'Internal Debt' of the Central Government and 'Loans and Advances' made (and their recoveries) by Government. This section also accounts for certain special transactions relating to 'Appropriation to the Contingency Fund' and 'Inter-State Settlement.'

लेखों के भाग-II अर्थात आकस्मिकता निधि में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित आकस्मिकता निधि से संबंधित लेन-देन के लेखे दर्ज किए जाते हैं।

In Part-II, namely, Contingency Fund, the accounts of transactions connected with the Contingency Fund established under Article 267 of the Constitution of India are recorded.

लेखों के भाग-III अर्थात लोक लेखे में 'ऋण' (भाग I में लेन-देनों को उचंत शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

2. सेक्टर और लेखों के शीर्ष

उपर्युक्त भाग I के प्रत्येक भाग में लेन-देन को सेक्टर और अंशदान' और व्यय शीर्षों के लिए 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं और 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। विशिष्ट कार्य अथवा सेवाओं को व्यय शीर्षों के में, सेक्टरों को लेखे के मुख्य शीर्षों में विभाजित करने से पर्व उप-सेक्टरों में उप-विभाजित किया जाता है।

मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षों में विभाजित किया जाता है शीर्षों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक शीर्ष के अधीन व्यय को प्रभारित और स्वीकृत के बीच विभाजित करके दिखाया जाता है। कभी-कभी मुख्य शीर्षों को लघू शीर्षों में और आगे विभाजित किए जाने से पूर्व उन्हें उप-मुख्य शीर्षों में भी विभाजित किया जाता है। सेक्टर और उप-सेक्टर सम्बन्धी वर्गीकरण के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष, उप–मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप-शीर्षों, ब्योरेवार शीर्षों और वस्तुगत शीर्षों से मिलकर सरकारी लेखों के वर्गीकरण ढांचे की छह शीर्षीय व्यवस्था बनाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य लेखों

In Part-III, namely, Public Account, the accounts of the शामिल ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण), 'जमा', 'पेशगियां', 'प्रेषण', transactions relating to 'Debt' (other than those included और 'उचंत' से सम्बन्धित लेन-देनों के लेखे दर्ज किए जाते हैं। in Part-I), 'Deposits', 'Advances', 'Remittances' and 'Suspense' इस भाग में 'ऋण', 'जमा', और 'पेशगियां' के अधीन वे लेन-देन are recorded. The transactions under 'Debt', 'Deposits' दर्ज किए जाते हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार, प्राप्त धन को and 'Advances' in this part are such in respect of which वापस करने का दायित्व लेती है या अदा की गई राशियों को Government inccurs a liability to repay the moneys received or has वसूल करने का दावा रखती है एवं इस भाग में प्राप्त राशियों a claim to recover the amounts paid, together with repayments of ('ऋण' और 'जमा') की पूनर्अदायगियों और प्रदत्त राशियों the former ('Debt' and 'Deposits') and the recoveries of the (पेशगियों) की वस्तियां भी 'दर्ज' की जाती हैं। इस भाग में latter (Advances'). The transactions relating to 'Remittances' प्रेषण जिसके अधीन खजाना और मुद्रा तिजोरी के नकदी प्रेषण in this Part account for remittance of cash between treasuries विभिन्न लेखा परिमण्डलों आदि के बीच अंतरणों के लेखे. जैसे and currency chests, transfers between different accounting लेन-देन दर्ज होते हैं। इन शीर्षों में दर्ज प्रारम्भिक डेबिटों या cirlces, etc. The initial debits or credits to these heads are क्रोडिटों का शोधन अन्ततः उसी लेखा परिमण्डल में या किसी अन्य cleared eventually by corresponding receipts or payments लेखा परिमण्डल में तदनुरूपी प्राप्तियों या अदायगियों द्वारा किया either within the same circle of account or in another account जाता है। लेखों में अन्तिम बुकिंग पर समायोजन के लिए अनिर्णीत circle. The transactions pending adjustment on final booking in accounts are recorded under Suspense heads.

Sectors and Heads of Accounts

Within each of the sections in Part I mentioned above, में समूहबद्ध किया जाता है। वे हैं प्राप्ति शीर्षों (राजस्व लेखा) the transactions are accounted for, grouped into sectors. They के लिए 'कर राजस्व', 'कर-भिन्न राजस्व' व 'सहायता-अनुदान are 'Tax Revenue,' Non-Tax Revenue' and 'Grants in-aid and Contributions' for the receipt heads (revenue account), and 'General Services' 'Social Services', 'Economic Services' and 'Grants-in-aid and Contributions' for expenditure heads. Specific functions or services are grouped in a sector for सेक्टर (यथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल-कूद, expenditure heads (such as Education, Sports, Art and कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल पूर्ति, Culture; Health and Family Welfare; Water Supply, सफाई. आवास और शहरी विकास) में समूहबद्ध किया जाता Sanitation, Housing and Urban Development under Social है। भाग III (लोक लेखा) में भी लेन–देनों को 'अल्प–बचत', Services). In Part III (Public Account) also, the transactions 'भविष्य निध', 'आरक्षित निधि' आदि जैसे सेक्टरों में समृहबद्ध are grouped into sectors, such as Small Savings, Provident किया जाता है। इन सेक्टरों को लेखे के मुख्य शीर्षों में Funds, Reserve Funds etc. These Sectors are sub-divided उप-विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कूछ मामलों into major heads of account. In some cases, the Sectors are, in addition, sub-divided into sub-sectors before their division into major heads of account.

The major heads are divided into minor heads, each of जिनमें से प्रत्येक के कई अधीनस्थ शीर्ष होते हैं, जिन्हें which has a number of subordinate heads, generally known सामान्यतः उप–शीर्षं कहा जाता है। उप–शीर्षां को पूनः ब्यौरेवार as sub-heads. The sub-heads are further divided into detailed heads. Under each of these heads, the expenditure is shown distributed between charged and voted. Sometimes major heads are also divided into sub-major heads before their further division into minor heads. Apart from the Sectoral and sub-Sectoral classification, the Major Heads, Sub-Major Heads, Minor Heads, Sub-Heads, Detailed Heads and Object Heads together constitute a six-tier arrangement within the classification structure of Government Accounts. The major, minor and sub-heads prescribed for the detailed classification of expenditure in the general accounts are not necessarily में व्यय के विस्तृत वर्गीकरण के लिए निर्धारित मुख्य, लघु identical with the description of sub-heads and other units of और उप-शीर्ष अनिवार्यतः उन अनुदानों के उप-शीर्ष और allotments in the grants which are adopted by Governments

आबंटन की अन्य यूनिटों के समरूप हों, जो सरकार द्वारा in the Demands for grants, presented to Parliament. But संसद को प्रस्तुत की गई अनुदान की मांगों के लिए अपनाए in general a good degree of correlation is maintained गए हैं। परन्तू सामान्यतः अनूदानों की मांगों और वित्त लेखों between the demands for Grants and the Finance के बीच कुछ सीमा तक बजट दस्तावेज में उपयुक्त परस्पर Accounts, by suitable cross referencing in the budget संदर्भ द्वारा यह संबंध रखा जाता है।

व्यय शीर्षों के सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाले लेखों के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के कार्यकलापों के अनुरूप होते हैं, जबिक उसके अधीनस्थ लघु शीर्ष, मुख्य शीर्ष द्वारा निरूपित कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों से सम्बद्ध होते हैं। उप-शीर्ष योजनाओं, ब्योरेवार शीर्ष, उप-योजना और वस्तुगत शीर्ष वर्गीकरण के वस्तुगत स्तर के द्योतक हैं।

3. कोड निर्घारण पैटर्न

मुख्य शीर्ष

मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों की एक संकेत संख्या शीर्ष अथवा पुंजीगत व्यय शीर्ष अथवा कर्ज शीर्ष से है। Expenditure Head or Loan Head.

राजस्व प्राप्ति शीर्ष के कोड का प्रथम अंक '0' या '1' है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष के प्रथम संकेत अंक में 2 जोड़ने से तदनुरूपी राजस्व व्यय शीर्ष की निर्धारित संख्या प्राप्त होगी। पूंजीगत व्यय शीर्ष के लिए 2 अतिरिक्त रूप से जोड़े पूंजीगत परिव्यय शीर्ष तथा 6401, कर्ज शीर्ष के द्योतक हैं।

तथापि, ऐसी पद्धति उन विभागों के लिए संगत नहीं है जहां पूंजी अथवा कर्ज शीर्ष के खाते नहीं बनाए जाते जैसे कि पूर्ति विभाग। कुछ मामलों में, जहां प्राप्तियां/व्यय अधिक नहीं होते, कुछ मुख्य शीर्षों को एक ही संख्या के अंतर्गत मिलाया जाता है, उस संख्या के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष स्वयं उप-मुख्य शीर्ष बन जाते हैं।

उप-मुख्य शीर्ष

प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत संकेत 01 से प्रारम्भ होने वाले कोड के लिए दो अंकों का संकेत निर्धारित किया गया from 01 under each Major Head. Where no sub-major है। जहां कोई उप-मुख्य शीर्ष नहीं है वहा '00' संकेत रखा गया है। नामावली 'सामान्य' को संकेत (कोड) '80' दिया has been allotted Code'80' so that even after further sub-गया है ताकि आगे भी उप-मुख्य शीर्ष जोड़े जाने पर 'सामान्य' major heads are introduced, the Code for 'General' will के लिए संकेत अन्त वाला ही बना रहे।

लघू शीर्षों को तीन अंकों वाले संकेत (कोड) दिए गए हैं, ये संकेत प्रत्येक उप मुख्य शीर्ष / मुख्य शीर्ष (जहां the codes starting from '001' under each Sub-Major/Major

documents.

The major heads of account, falling within the sectors for expenditure heads, generally correspond to functions of Government, while the minor heads, subordinate to them, identify the programmes undertaken to achieve the objectives of the function represented by the major head. The sub-head represents schemes, the detailed head, Sub-Scheme and object head, the object level of classification.

3. Coding Pattern

Major Head

A four digit Code has been allotted to the Major निर्धारित की गई है, पहला अंक यह सूचित करता है कि Head, the first digit indicating whether the Major Head is मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से अथवा राजस्व व्यय a receipt head or Revenue Expenditure Head or Capital

The first digit of Code for Revenue Receipt head is either '0' or '1'. Adding 2 to the first digit Code of the Revenue Receipt Head will give the number allotted to corresponding Revenue Expenditure Head; adding another 2, the capital expenditure head; and adding another 2, the जाते हैं तथा कर्ज लेखा शीर्ष के लिए 2 और जोड़े जाते loan Head of Account. For example, for a Crop Husbandry हैं। उदाहरण के लिए फसल कृषि कर्म शीर्ष के लिए 0401 head, code 0401 represents the receipt head; 2401, the संकेत संख्या प्राप्ति शीर्ष, 2401, राजस्व व्यय शीर्ष, 4401 revenue expenditure head, 4401, the Capital Outlay head and 6401, the Loan head.

> Such a pattern is, however, not relevant for those departments which are not operating Capital or Loan heads of Accounts e.g. Department of Supply. In a few cases, however, where Receipt/Expenditure is not heavy, certain Major Heads have been combined under a single number, the Major Heads themselves forming Sub-Major Heads under that number.

Sub Major Head

A two digit code has been allotted, the code starting head exists, it is allotted a code '00'. Nomenclature 'General' continue to remain the last one.

Minor Heads have been allotted a three digit code,

कोई उप-मुख्य शीर्ष नहीं हैं) के अन्तर्गत '001' से शुरू Head (where there is no Sub-major head). Codes from होते हैं। कोंड '001' से '100' तक तथा कोड '750' से '900' '001' to '100' and few codes '750' to '900' have been तक कुछ संकेत मानक लघु शीर्षों के लिए आरक्षित किए reserved for certain standard Minor Heads. The coding गए हैं। लघु शीर्षों के लिए सांकेतिक वर्गीकरण पद्धति इस pattern for Minor Heads has been designed in such a way प्रकार से तैयार की गई है कि कुछ लघु शीर्ष जिनके that in respect of certain Minor Heads having a common विभिन्न मुख्य / उप मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत सामान्यतः एक nomenclature under various Major/Sub Major Heads, as ही नामावली है उनके सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, वहां far as possible, the same three digit code is adopted. वही तीन अंकों के संकेत अपनाए गए हैं।

वर्गीकरण की इस योजना के अन्तर्गत, प्राप्ति मुख्य शीर्षों को 6001 से 6004 तक और "कर्जें और पेशगियां" "अन्तर्राज्यीय परिशोधन" तथा "आकस्मिकता निधि को अन्तरण" को 6075 से 7999 तक की क्रमागत क्रमिक संख्याओं का एक 8001 से 8999 तक की संकेत संख्याएं दी गई हैं।

- 4. इन लेखों में शामिल लेन—देन मुख्य रूप में वित्तीय वर्ष 4. The transactions included in these accounts रोकड़ आधार प्रणाली (लेखाकरण की प्रोदभूत प्रणाली के कान्ट्रा-डिसटिंक्शन में) लेन-देनों को दर्ज करने और वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर चल रहे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की वास्तविक तथा लेखा विभाग द्वारा लेखा-परीक्षा भी की जाती है।
- 5. इन लेखों में दिखाए गए वास्तविक आंकड़े, वसूलियों को $^{5.}$ हिसाब में लेने के बाद व्यय को परा करने के लिए स्वीकार्य निवल आंकड़े हैं। किन्तु संसद में प्रस्तुत की गई मांगें और के रूप में लिया जाता है।
- 6. संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों और विभागों के लेखों का विभागीकरण 1 अप्रैल 1976, 1 जुलाई, 1976, 1 अक्तूबर, 1976 w.e.f. 1st April, 1976, 1st July, 1976, 1st October, 1976 and तथा 1 अप्रैल, 1977 से चरणों में किया गया था तथा संघ राज्य 1st April, 1977 and of the Administrations of Union क्षेत्र, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लेखों का Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands प्रशासन क्रमश: 1 अप्रैल, 1977 तथा 1 जून, 1980 को किया from 1st April, 1977 and 1st June, 1980 respectively. The गया था। संघ सरकार के वित्त लेखों को वर्ष 1977-78 के बाद preparation of the Finance Accounts of the Union

Under this scheme of codification, receipt major heads शीर्ष (राजस्व लेखा) को 0005 से 1606 तक; व्यय मुख्य शीर्षों (revenue account) are assigned the block of numbers (राजस्व लेखा) को 2011 से 3606 तक, व्यय मुख्य शीषों (पूंजीगत from 0005 to 1606; expenditure major heads (revenue लेखा) को 4046 से 5475 तक, 'लोक ऋण' के अन्तर्गत मुख्य account) from 2011 to 3606, expenditure major heads (capital account) from 4046 to 5475, major heads under 'Public Debt' from 6001 to 6004 and those under 'Loans and Advances', 'Inter -State Settlement' and 'Transfer to Contigency Fund' from 6075 to 7999. The code समृह निर्धारित किया गया है। संकेत संख्या 4000 पूंजीगत प्राप्ति number 4000 has been assigned for Capital receipt के मुख्य शीर्ष के लिए दी गई है। भाग II में 'आकस्मिकता major head. The only major head 'Contingency Fund' निधि के एकमात्र मुख्य शीर्ष 'आकिस्मकता निधि' को संकेत in Part-II, 'Contingency Fund' has been assigned the संख्या 8000 दी गई है। लोक लेखों के अधीन मुख्य शीर्ष को code number 8000. The major heads in the Public Account are assigned the code numbers from 8001 to 8999.

- अप्रैल से मार्च के दौरान वास्तविक रोकड प्राप्तियों और संवितरणों represent mainly the actual cash receipts and को सचित करते हैं जो उस अवधि के दौरान सरकार को प्राप्त disbursements during the financial year April to March अथवा सरकार द्वारा देय राशियों से अलग होते हैं। तथापि, as distinguished from amounts due to or from Government during the same period. The cash basis system (in contra distinction to accrued system of Accounting) is, however, not entirely suitable for recording the transactions and presenting the true state of affairs of स्थिति बताने के लिए पूर्णतया उपयुक्त नहीं है। अतः उपक्रमों Government commercial undertakings run on commercial के इस श्रेणी के ब्यौरेवार लेखे नियमित लेखों से बाहर समुचित principles. The detailed accounts of this class of वाणिज्यिक रूप में रखे जाते हैं और इनकी भारतीय लेखा—परीक्षा undertakings are, therefore, maintained outside the regular accounts in proper commercial form and also are subject to Audit by the Indian Audit and Accounts Department.
- The figures of actuals shown in these accounts are net, after taking into account the recoveries as are permitted to be set off against expenditure. But the Demands presented to Parliament and the Appropriation Accounts विनियोग लेखे सकल व्यय के लिए होते हैं और उनमें प्राप्तियां are for gross expenditure and exclude the receipts and तथा वसुलियां शामिल नहीं होती हैं, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी recoveries which are otherwise permitted to be set off in reduction of expenditure.
 - 6. The Accounts of the Civil Ministries and Departments of the Union Government were Departmentalised in stages

से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। स्वतन्त्रता Government from 1977-78 onwards are being done by the बदले में पेंशनों सहित पेंशनों (सिविल) को भी वित्तीय वर्ष 1990-91 से विभागीकृत कर दिया गया था । भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इस समय केवल (i) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, तथा (ii) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ से संबंधित लेन-देनों के लेखों का अनुरक्षण करते हैं।

लेखों का विभागीकरण होने पर ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न महालेखाकारों की बहियों में लेखा शेषों balances in the books of the various Accountants General को लेखों के विभागीकरण से पूर्व की तारीखों से मंत्रालयवार under debt, deposit, suspense and remittance heads on तथा विभागवार विभागीय लेखा बहियों में लिया गया था। ऐसे the dates prior to the dates of departmentalisation of शेषों में से ₹8158 करोड़ (निवल क्रेडिट) की तूलना में मात्र ₹8208 करोड (निवल क्रेडिट) के ही विवरण प्राप्त हए और स्वीकार किए गए। ₹50 करोड़ के निवल डेबिट शेष के समाशोधन, आबंटन और स्वीकृति अथवा बट्टे खाते डाले जाने की कार्रवाई की जा रही है।

विनिमय द्वारा हानि अथवा लाम का समायोजन 7.

(i) वर्ष 1991-92 से पूर्व, विदेशी मुद्रा के लेन-देनों के कारण उत्पन्न हुई विनिमय द्वारा हानि अथवा लाम के लेखाकरण की accounting of loss or gain by exchange arising out of पद्धति को आर्थिक कार्य विभाग की बहियों में केन्द्रीकृत किया transactions in foreign currencies were centralised in the गया था। निवल हानि अथवा लाभ को लेखे में मुख्य शीर्ष 2075/ books of Department of Economic Affairs. The net loss 0075 के अन्तर्गत दर्शाया गया था। वर्ष 1991-92 से, इस or gain was reflected under the Major Head 2075/0075 in लेखाकरण पद्धति में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के the accounts. From 1991-92, this accounting practice has अनुमोदन से परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसी हानि अथवा लाभ been, with the approval of C&AG of India, changed. Such को अब संबंधित मंत्रालय / विभाग की बहियों में अन्तिम रूप से losses or gains are now finally accounted for in the books लेखाबद्ध किया जाता है।

पूर्णतया चुकाए गए विदेशी ऋणों के संबंध में विनिमय अंतर को शीर्ष "8680-विविध सरकारी लेखे - शेषों में संवृत होने वाले have been fully repaid shall be written off to "8680-लेखा शीर्षों से बहे खाते डाले गए' द्वारा "6002 – बाहय ऋण" के अन्तर्गत संगत लघु शीर्ष / उप शीर्ष जिसमें व्यय अथवा of Accounts closing to balance" per contra credit to पुनर्अदायगी को डेबिट किया गया है, प्रति कान्ट्रा क्रेडिट द्वारा relevant Minor/Sub Head under "6002-External Debt" to बट्टे खाते डाला जाता है।

(ii) एसडीआर का अधिग्रहण

एस डी आर के अधिग्रहण के लिए लेन-देनों से उत्पन्न लेखाबद्ध किया जाता है।

सेनानियों की पेंशनों तथा जागीरों, भूमियों आदि के पुनर्ग्रहण के Ministry of Finance. Pensions (civil) including pensions to freedom fighters and pensions in lieu of resumed jagirs, lands etc. were also departmentalised with effect from financial year 1990-91. The Comptroller and Auditor General of India maintains, presently only the accounts of transactions relating to (i) the Indian Audit and Accounts Department and (ii) Union Territory Administration of Chandigarh.

> On the departmentalisation of accounts, accounts accounts were taken over in the departmental accounts books Ministry-wise and Department-wise. Of such balances taken over, against sums amounting to ₹8158 crores(net credit) details for only ₹8208 crores (net credit) were received and accepted. Action is being taken to effect reconciliation, allocation and acceptance or writeoff of the remaining net debit balance of ₹50 crores.

Adjustment of loss or gain by Exchange

(i) Prior to the year 1991-92, the procedure for the of the respective Ministry/Department.

The exchange variation in respect of foreign loans that Miscellaneous Government Accounts-Write Off from Head which the expenditure or repayment stands debited.

(ii) Acquisition of SDRs

The loss or gain arising out of transactions for acquisition हानि अथवा लाभ को शीर्ष 8012-विशेष जमा और लेखे-अन्तर्राष्ट्रीय of SDRs is to be accounted for under the head 8012-Special मुद्रा कोष में एस डी आर-विनिमय दर विभिन्नता के अन्तर्गत Deposit and Accounts - SDR at the IMF- Exchange Rate variation.